



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श०)

(सं० पटना 738) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2@vkjki&01&52@2014-6865/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

9 जुलाई 2021

श्री अविनाश कुमार सिंह (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1055/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी-सह-प्रभारी काराधीक्षक, सीतामढ़ी के विरुद्ध मंडल कारा, सीतामढ़ी के अन्तर्गत अनियमित एवं नियम के विरुद्ध कार्य होने की गुप्त सूचना के आधार पर कारा में औचक छापामारी के क्रम में आपत्तिजनक सामग्रियों के प्राप्त होने, जेल परिसर में मंदिर का निर्माण कराये जाने, रमजान के महीने में जेल परिसर में इफ्तार पार्टी दिये जाने तथा मुस्लिम कैदियों के बीच वस्त्र वितरण किये जाने, NGO की वैधता की जाँच किये बिना NGO से जेनरेटर लिए जाने, संसीमित कुख्यात बन्दी द्वारा नया पंखा लगाये जाने, जमीन पर कालीन लगाये जाने आदि के प्रतिवेदित आरोपों के लिए आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 2002 दिनांक 11.08.2014 के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक 12739 दिनांक 12.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। श्री सिंह के पत्रांक 286 दिनांक 10.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप तथा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् विचारोपरान्त आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9592 दिनांक 11.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1019 दिनांक 26.09.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 14317 दिनांक 21.10.2016 के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक 153 (निर्वाचन) दिनांक 31.12.2016 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त इनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14196 दिनांक 09.11.2017 द्वारा 'निन्दन' तथा 'तीन वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक' का दंड संसूचित किया गया।

संसूचित दंडादेश के विरुद्ध श्री सिंह के पत्रांक 29/निर्वाचन दिनांक 09.05.2018 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री सिंह के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11623 दिनांक 29.08.2018 द्वारा इनके विरुद्ध पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14196 दिनांक 09.11.2017 द्वारा दिये गये दंड को यथावत् बरकरार रखा गया।

उक्त दंड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 5500/2019 अविनाश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में सम्पूर्ण मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13311 दिनांक 24.09.2019 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध अधिरोपित दंड संकल्प ज्ञापांक 14196 दिनांक 09.11.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11623 दिनांक 29.08.2018 को निरस्त किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(1) के तहत अग्रेतर जाँच हेतु जाँच पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को मूल अभिलेख वापस किया गया।

आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 409 दिनांक 17.09.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में निम्नांकित निष्कर्ष अंकित किया है :-

“संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात समर्पित किये गये जाँच प्रतिवेदन को विखंडित करने का कोई तथ्य नहीं है। आरोपी पदाधिकारी का काराधीक्षक की हैसियत से यह देखना उनका दायित्व बनता है कि जेल में रह रहे कैदियों को जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वह जेल मेनुअल के अनुसार है या नहीं। आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्व में भेजा गया जाँच प्रतिवेदन में कोई अन्य आपत्ति या विरोध तथ्य नहीं समर्पित किया गया है। अतः उपरोक्त कड़िकाओं में निहित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही में निरूपित निष्कर्ष से इनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित होते हैं। सम्यक् समीक्षोपरान्त इस बात की पुष्टि होती है कि दुर्दान्त संसीमा अपराधकर्मियों की सुख सुविधा हेतु जेल मेनुअल के प्रावधान के प्रतिकूल अवैध सामग्री एवं जेनरेटर संचालित हो रहा था। जिस पर जेल अधीक्षक की हैसियत से कार्रवाई नहीं करना इनकी सौंठ-गोंठ को दर्शाता है। एक काराधीक्षक होने के नाते इन्होंने अपने कर्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती है।

उपर्युक्त समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि कारा में छापेमारी के दौरान पायी गयी वस्तुएं तथा अनियमितता का पाया जाना काराधीक्षक के रूप में उनके पर दायित्वों से जुड़ा कार्य था एवं ऐसी स्थिति में पायी गयी अनियमितता के लिए एतदसंबंधी अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध सजगत में कमी, नियमित पर्यवेक्षण के अभाव तथा प्रशासनिक नियंत्रण में कमी एवं अनुश्रवण के अभाव का आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।”

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री सिंह से लिखित अभिकथन प्राप्त किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह ने दिनांक 24.02.2014 को कारा अधीक्षक, सीतामढ़ी के रूप में प्रभार ग्रहण किया था। जहाँ तक मंदिर निर्माण का प्रश्न है इस सिलसिले में जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि :-

“जहाँ तक मंदिर निर्माण कार्य को आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच दिनांक 14.07.2014 में प्रतिवेदित नहीं होने के आधार पर गलत प्रतिवेदन माने जाने के आरोपित पदाधिकारी के दावे का प्रश्न है तो यह एक गंभीर अनियमितता है एवं आरोपित पदाधिकारी इस मामले में अपनी जबाबदेही से इस आधार पर नहीं बच सकते हैं कि पूर्व में दिनांक 14.07.2014 की जाँच में यह प्रतिवेदित नहीं है, क्योंकि इससे इस तथ्य का प्रमाण ही प्राप्त होता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य दिनांक 14.07.2014 के बाद ही प्रारंभ हुआ जो इनके कार्यकाल का ही है। ऐसी स्थिति में आरोप का यह अंश “प्रमाणित” माना जा सकता है।”

श्री सिंह ने अपने लिखित अभिकथन में कुछ अनावश्यक एवं अपनी सीमा से बाहर जाकर अपने उच्च पदाधिकारियों पर दोषारोपण भी किया है, जो निम्नवत् है :-

“वास्तविक दोषियों से सरकार का ध्यान हटाने हेतु एवं जिला प्रशासन तथा अनुमंडल प्रशासन द्वारा खुद को बचाने हेतु मेरे विरुद्ध गलत दृष्टिकोण के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आरोप लगाया गया है।”

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कारा में छापेमारी के दौरान पायी गयी वस्तुएँ एवं अनियमित कार्य के लिए और दूसरे कारा के पदाधिकारियों के साथ-साथ श्री सिंह भी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह हैं, क्योंकि प्रभारी कारा अधीक्षक के रूप में उनके विरुद्ध सजगता में कमी, नियमित पर्यवेक्षण का अभाव, प्रशासनिक नियंत्रण में कमी एवं अनुश्रवण के अभाव का आरोप स्पष्ट रूप से “प्रमाणित” होता है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सिंह के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सिंह के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम-14(vi) के तहत **“दो वेतनवृद्धि संचयात्मक” प्रभाव से अवरुद्ध किये जाने की शास्ति एवं “चेतावनी”** का दंड विनिश्चित किया गया।

उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 728 दिनांक 15.01.2021 एवं पत्रांक 2787 दिनांक 01.03.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 610 दिनांक 28.06.2021 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विनिश्चित दंड पर सहमति प्रदान की गयी है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री सिंह के विरुद्ध समर्पित अभ्यावेदन में प्रमाणित आरोप एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विनिश्चित दंड पर व्यक्त किये गये सहमति के आलोक में श्री अविनाश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1055/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी-सह-प्रभारी काराधीक्षक, सीतामढ़ी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम-14(vi) के तहत **“दो वेतनवृद्धि संचयात्मक” प्रभाव से अवरुद्ध किये जाने की शास्ति एवं “चेतावनी”** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

राज्यपाल के आदेशानुसार,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 738-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>